(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बड़ीसादड़ी

श्री काशीराम बनाम श्री रामचन्द्र

किस्म मुकद्दमा 53 R.T.A.A नं. 40/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट पंडेड़ा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 R.T.A.A आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि काशीराम पि टेका सुथार एवं रामचन्द्र/ भागचन्द, लालचन्द/ प्यारा P.O. पंडेड़ा के आपसी बटवारा पेश किया गया।	

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा पाचर ① काशीराम पि टेका सुथार

आ.न.	रकबा	लगान
26	0.69	5.52
3/7 मी.	0.06	0.30
2	0.75	5.82

② रामचन्द्र, भागचन्द, लालचन्द/ प्यारा, मोकी पि प्यारा

28 मी.	0.68	5.44
37/1	0.06	0.30
2	0.74	5.74

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
RAS
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official